


26.6.24

पत्रावली पेश हुई। वकील परावार उपस्थित।
वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
100/- का कोर्ट फर आर्गिज कपलट दिया
जाता है। पत्रावली वसी नकब अर्थात् पत्र
दि. 24.9.24 को पेश होने।


SDD

24.07.2024

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारानु उपस्थित।
वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं
किया। जवाब प्रा. पत्र बंद किया जाता है।
बयान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। पृथमदृष्टया मामला सुबिया
एवं अंतुलन की दृष्टि से प्राथी के पक्ष में
है। मॉके व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर
वाद विविधता बढ़ेगी। अतः दोनों पक्षों
को पाबंद किया जाता है कि मूल वाद
के निरन्तरण तक मॉके एवं रिकॉर्ड की
अव्याप्ति बनाए रखें। पत्रावली फॉर्मल
अभार होकर अंतुलन मूल वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा